संख्या–1993 /III(2)/20-18(एम.एल.ए.)2017TC

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– धर्मपुर के अन्तर्गत विभिन्न 05 कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 05 विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 16.465 किमी. एवं लागत **₹ 873.70 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 700.01 लाख (रूपये सात करोड़ एक हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु प्रति कार्य **₹ 0.10** लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 05 कार्यों हेतु **₹ 0.50** लाख (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(Viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेण्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण **(5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)** के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या- 496/XXVII(2)/2020 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या– **(1)/III(2)/20-18(एम.एल.ए.)2017TC तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग

पृ०सं० 960 / 20 भा०का० / 20 दि०: 05-11-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षे० मुख्य अभि०, लो० नि० वि० देहरादून।
2. अधी० अभि० नवम वृत्त, लो०नि०वि० देहरादून।
3. अधि० अभि० नि० ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।
4. अधि० अभि० आई०टी० सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष।
5. कनि० अभि० प्रा०/बजट वर्ग कार्यालय प्रमुख अभि० एवं विभागाध्यक्ष।

05/11/2020
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

संख्या- 1993 /III(2)/20-18(एम.एल.ए.)/2017TC दिनांक 29 अक्टूबर 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–धर्मपुर के अन्तर्गत छावनी परिषद क्लेमेनटाउन देहरादून के विभिन्न आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य **(द्वितीय चरण)।**	1.750	98.36	0.10
2.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या–71, पूर्वी पटेलनगर एवं वार्ड संख्या– 73, विद्या विहार के आन्तरिक मार्गो का सी.सी. टाईल्स एवं पी.सी. द्वारा नवीनीकरण का कार्य **(विस्तृत आगणन)।**	6.221	208.08	0.10
3.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–धर्मपुर के अन्तर्गत टर्नर रोड सी–13 मोटर मार्ग का सुधारीकरण पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य**(विस्तृत आगणन)।**	0.865	49.55	0.10
4.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या– 72, देहराखास एवं ऊर्जा पार्क के निकट औद्योगिक क्षेत्र में सी.सी. टाईल द्वारा मार्ग निर्माण एवं नाली का निर्माण कार्य **(विस्तृत आगणन)।**	3.099	158.66	0.10
5.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या– 74 ब्रहमपुरी, वार्ड संख्या– 75 लोहियानगर एवं वार्ड संख्या– 76 निरंजनपुर के आन्तरिक मार्गो का सी.सी. टाईल एवं पी.सी. द्वारा नवीनीकरण का कार्य **(विस्तृत आगणन)।**	4.530	185.36	0.10
	कुल योग :–	**16.465**	**700.01**	**0.50**

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1993/III(2)/20-18(MLA)/17TC
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20100220024
आवंटन पत्र दिनांक-29-OCT-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
04-District and other Roads
337-सडक निर्माण कार्य
03-राज्य सेक्टर
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1650000	50000	0	1700000
योग	1650000	50000	0	1700000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER